तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 36/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
30.3.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) देवाराम जोशी पुत्र पीथाराम जोशी, जाति– जोशी, निवासी– फाखरी स्टोर के सामने, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म S.K.Products, जी–23–24, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या– 2 (दो) खुजेमा पुत्र सैफुद्दीन, निवासी– कमर मंजिल, बोहरा वास, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म S.K.Products, जी–23–24, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.11.2020 को फर्म S.K.Products, जी–23–24, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर देवाराम जोशी (प्रतिवादी संख्या–1) से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ फूट प्रोडक्ट (फूट बर्फी) Lazeez के नमूना संख्याः एस–1226 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./764/Act/2020/764 दिनांक 03.12.2020 में खाद्य पदार्थ फूट प्रोडक्ट (फूट बर्फी) Lazeez का नमूना मिथ्याछाप एवं अमानक पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होने व धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 21.3.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि फर्म एस.के. प्रोडक्टस् में फूट प्रोडक्ट (फूट बर्फी) Lazeez का निर्माण होता है, लेकिन उक्त कारखाने में आम जनता को फूट प्रोडक्ट (फूट बर्फी) Lazeez को विक्रय हेतु रखे जाने का कथन गलत है [illegible] द्वारा फूट प्रोडक्ट (फूट बर्फी) Lazeez के नमूनीकरण [illegible] प्रदत्त प्रावधानों अनुसार कार्यवाही नही की [illegible] देवाराम जोशी के खाली क[illegible] में बैठकर पूरी कार्यवाही सम्पन्न की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फूट ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 36/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

प्रोडक्ट (फ्रूट बर्फी) Lazeez के नमूने को टेम्पर विथ करके जांच हेतु भेजा है, जिससे नमूनें के खराब होने की पूर्ण आशंका बनी रहती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा 4 के तहत नमूनें की रेफरल लेब से पुनः जांच करवाने हेतु सूचना प्रतिवादीगण को नही दी है जिससे प्रतिवादीगण नमूनें की पुनः जांच कराने के अधिकार से वंचित रहे है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायलय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 04.11.2020 को समय 02.00 पी.एम. पर फर्म S.K.Products, जी–23–24, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से प्रतिवादी देवाराम जोशी पुत्र पीथाराम जोशी, जाति– जोशी, निवासी– फाखरी स्टोर के सामने, मण्डार, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु फर्म S.K.Products, जी–23–24, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील-- रेवदर, जिला–सिरोही में खाद्य पदार्थ फ्रूट प्रोडक्ट (फ्रूट बर्फी) Lazeez का निर्माण एवं विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ फ्रूट प्रोडक्ट (फ्रूट बर्फी) Lazeez के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रतिवादी देवाराम जोशी को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री देवीसिंह, निवासी– राडबर, तह. शिवगंज, जिला– सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए में रसीद प्राप्त की। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 5ए पर प्रतिवादी देवाराम जोशी, उक्त गवाह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने S.K.Products, जी–23–24, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही के गोदाम में अन्दर गत्ते के डिब्बों में प्लास्टिक जार में बिक्री हेतु मौजदू खाद्य पदार्थ फ्रूट प्रोडक्ट (फ्रूट बर्फी) Lazeez के 180 पैक्ड जार (प्रत्येक 250 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ फ्रूट प्रोडक्ट (फ्रूट बर्फी) Lazeez के 8 पैक्ड जार (प्रत्येक 250 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच [illegible] राशि रुपये 269/– (अक्षरे रुपये दो सौ उनसत्तर मात्र) [illegible] कर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा [illegible] कोड एवं क्रमांक S–1226, [illegible] का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कि[illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ फ्रूट प्रोडक्ट (फ्रूट बर्फी) Lazeez के 8 पैक्ड

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:08 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 36/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

जारों में से 2–2 जारों को मिलाकर टेप से चिपकाकर चार पैकेट बनायें और प्रत्येक पैकेट पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-1226 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी देवाराम जोशी व उक्त गवाहानं के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसे प्रतिवादी देवाराम जोशी ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रतिवादी देवाराम जोशी व उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ फ्रूट प्रोडक्ट (फ्रूट बर्फी) Lazeez का एक नमूना भाग व फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा दिनांक 05.11.2020 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा शेष सीलबन्द तीन नमूना भाग व फार्म नं. 6 का सीलबन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 04.11.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./764/Act/2020/764 दिनांक 03.12.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ फ्रूट प्रोडक्ट (फ्रूट बर्फी) Lazeez का नमूना संख्या S-1226 मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्ष एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंधन है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्या:एफएसएसए/2020/707–10 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा प्रतिवादी देवाराम जोशी और फर्म एस.के.प्रोडक्टस्, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्रारूप–8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन प्रतिवादीगण ने पुनः जांच [illegible] नहीं किया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी देवाराम जोशी जो फर्म S.K.Products, जी–23–24, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही में मैनेजर की हैसियत से कार्यरत है एवं S.K.Products, जी–23–24, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार,

......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:08 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 36/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही का प्रापेराईटर खुजेमा पुत्र सैफुद्दीन, निवासी– कमर मंजिल, बोहरा वास, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही है। इस प्रकार, मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ फूट प्रोडक्ट (फूट बर्फी) Lazeez के निर्माण व विक्रय हेतु फर्म S.K.Products, जी–23–24, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही के प्रोपराईटर खुजेमा पुत्र सैफुद्दीन, निवासी– कमर मंजिल के पास, बोहरा वास, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही खुजेमा पुत्र शैफुद्दीन, निवासी– कमर मंजिल, बोहरा वास, मण्डार उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ फूट प्रोडक्ट (फूट बर्फी) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत प्रतिवादी खुजेमा पुत्र सैफुद्दीन, निवासी– कमर मंजिल, बोहरा वास, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म S.K.Products, जी–23–24, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी खुजेमा पुत्र सैफुद्दीन, निवासी– कमर मंजिल के पास, बोहरा वास, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला-- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 11.5.2022 को पेश हो।

(कालूराम खौड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:08 IST
Reason: SelfAttested